मोदी सरकार में आतंकवादी हमले हुए कम

सदन में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 2014 से आतंकवादी घटनाओं में कमी का दावा किया

नईदिल्ली, 30 जुलाई. राज्य सभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 11 वर्षों में जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष देश में आतंकवादी हमले बंद हो गये हैं.

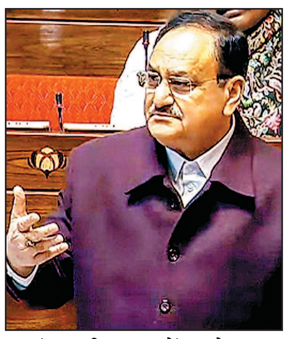

नड्डा ने उच्च सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में 2014 के पहले कई आतंकवादी हमले हुए जिनमें सैकड़ों लोग मारे गये लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष देश में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लग गयी. उन्होंने इस सिलसिले में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को अमावस्या की संज्ञा देते हुए कहा कि उस दौरान कई आतंकवादी घटनाएं हुईं लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 की बीच का कांग्रेस का कार्यकाल अमावस्या की तरह था और उसके बाद 2014 में मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला और सरकार के पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल को पूर्णिमा की संज्ञा दी जा सकती है जिसमें आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई.

प्रियंका गांधी ने आपदा पीड़ितों का मुद्दा उठाया

लोकसभा में केरल के वायनाड में भूस्खलन पीड़ित लोगों का मुद्दा उठा और पीड़ितों को राहत देने के लिए ऋण के रूप में दी गई मदद को माफ करने की केंद्र सरकार से मांग की गई .कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा मैं सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि वायनाड में आई एक भयानक प्राकृतिक आपदा को एक वर्ष हो गया है। इस आपदा के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गयी और 17 परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गये.

> केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संप्रग सरकार के शासन में आतंकवादी घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए कहा कि 2005 में जौनपुर में हरकत-उल-जेहाद के आतंकवादी हमले में 14 लोग मारे गये लेकिन उस समय की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद 2005 में दिल्ली में सीरियल बम धमाके हुए जिसमें सरोजनी नगर और पहाड़गंज को निशाना बनाया गया.

ऑस्ट्रेलिया : यूट्यूब पर लगेगा उम्र प्रतिबंध

16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकेंगे वीडियो

सोशल मीडिया बैन में यूट्यूब भी शामिल होगा

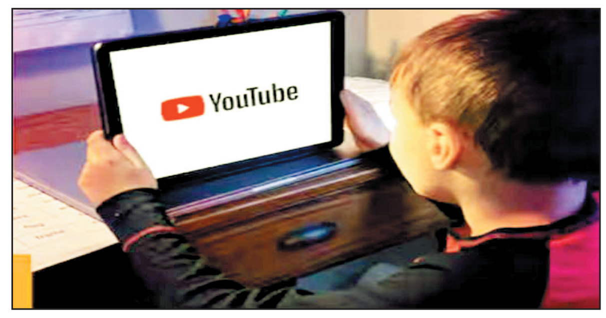

कैनबरा, 30 जुलाई. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दुनिया के पहले सोशल मीडिया प्रतिबंध में यूट्यूब को भी शामिल करेगा. शुरुआत में इस प्लेटफ़ॉर्म को छूट दी गई थी.

अल्बानीज और संचार मंत्री अनिका वेल्स ने बुधवार को कैनबरा में एक प्रेस वार्ता में कहा कि संघीय सरकार ने अपने ऑनलाइन सुरक्षा नियामक, ई-सेफ्टी कमिश्नर की उस सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया है जिसमें यूट्यूब को सोशल मीडिया प्रतिबंध में शामिल करने की बात कही गई है। आगामी दस 10 दिसंबर से लागू होने वाले प्रतिबंधों में यूट्यूब को शुरुआत में उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सामग्री के कारण छूट दी गई थी। लेकिन ई-सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट ने जून में सरकार को औपचारिक सलाह देते हुए कहा था कि यह प्लेटफ़ॉर्म बच्चों को हानिकारक सामग्री के संपर्क में लाता है. अल्बानीज़ ने बुधवार को कहा कि सरकार सामाजिक नुकसान पहुँचाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तैयार है.

हाजिरी के लिए क्रिकेट स्टेडियम चाहिए

सुप्रीम कोर्ट : भ्रष्टाचार केस में 2000 आरोपियों की गवाही का मुद्दा

नईदिल्ली, 30 जुलाई. उच्चतम न्यायालय ने नौकरी में कथित भ्रष्टाचार के मामले पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के खिलाफ 2000 आरोपी और 500 गवाहों को शामिल करने पर बुधवार को कहा कि उनकी हाजिरी दर्ज कराने के लिए भी एक क्रिकेट स्टेडियम की आवश्यकता पड़ेगी. न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सरकार से कहा कि वह आरोपियों और गवाहों की सूची उसे उपलब्ध कराये. पीठ ने इस कार्यवाही को 'बिना पतवार वाली नाव' मानते हुए कहा, दो हजार से अधिक अभियुक्तों और 500 गवाहों के साथ यह भारत का सबसे ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला मुक़दमा होगा. निचली अदालत का एक छोटा सा अदालत कक्ष काफ़ी नहीं होगा. उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम की भी जरूरत पड़ेगी. कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस अभियुक्त अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अचानक सामने आ जाएंगे. याचिकाकर्ता वाई बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि ऐसे मामले भी हैं जहां कई दादी को अपने पोते को नौकरी दिलाने के लिए अपने गहने बेचने पड़े.

उप्र विधानसभा सत्र में हो सकता है टकराव!

लखनऊ, 30 जुलाई. उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा और 16 अगस्त तक चलेगा. हालांकि सदन की कार्यवाही महज चार दिन ही चलेगी. विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दूबे ने बताया कि, उत्तर प्रदेश विस का 11 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगा. सदन की कार्यवाही सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को चलेगा. शनिवार को 15 अगस्त और 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की वजह से अवकाश रहेगा.

आरईसी पहली आईएसओ एनबीएफसी बनी

बीएसआई से मिला जोखिम प्रबंधन मान्यता पत्र

नई दिल्ली 30 जुलाई. भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और अग्रणी एनबीएफसी, आरईसी लिमि. को आईएसओ 31000:2018 (उद्यम जोखिम प्रबंधन- दिशानिर्देश) के अनुपालन के लिए बीएसआई (ब्रिटिश मानक संस्थान) द्वारा स्वतंत्र राय वक्तव्य प्रदान किया गया है. यह उपलब्धि आरईसी को बीएसआई से यह मान्यता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) बनाती है. आईएसओ 31000 2018 एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है जो प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए सिद्धांत और दिशानिर्देश प्रदान करता है.

रॉक स्टार ऑस्बॉर्न को संगीत के बीच विदाई

लंदन, 30 जुलाई. ब्रिटेन के मशहूर रॉक गायक एवं संगीतकार ओज़ी ऑस्बॉर्न को उनके गृहनगर बर्मिंघम में उनकी अंतिम संस्कार यात्रा के दौरान श्रद्धांजलि दी जायेगी. ऑस्बॉर्न का पार्थिव शरीर उनके परिजनों के साथ बुधवार को ब्रॉड स्ट्रीट पहुंचने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी.

फ्रांस ने अमेरिका से वाइन टैरिफ में छूट मांगी

पेरिस, 30 जुलाई. फ्रांस जोर दे रहा है कि अमेरिका शैंपेन और वाइन सहित अन्य मादक पेय पदार्थों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए आयात शुल्कों में छूट दे. फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने एक फ्रांसीसी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी. यूरोपीय संघ व अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बाद ब्रुसेल्स व पेरिस में इस बात को लेकर असमंजस की स्थितिहै कि किन वस्तुओं को अमेरिका द्वारा आयातित अधिकांश यूरोपीय वस्तुओं पर लागू 15 प्रश आयात शुल्क से छूट मिलेगी. अमेरिकी अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा है कि शैंपेन सहित स्पिरिट व वाइन पर कोई छूट नहीं होगी।

VASTU HOUSING FINANCE

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

यूनिट 203 और 204, द्वितीय तल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवरी (पश्चिम), मुंबई 400015. महाराष्ट्र। सीआईएन नं.: U65922MH2005PLC272501

कब्जा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग नोटिस जारी करता हूँ जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 9 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित संपत्ति का कब्जा नीचे उल्लिखित तिथि को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा द्वारा नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा।

स. क्रं.	उधारकर्ता का नाम, सह-उधारकर्ता और LAN नंबर	मांग नोटिस की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि और प्रकार
1	असराफ खान, रुकासन, LP0000000152970	11-मार्च-25 09-मार्च-25 को ₹ 1164051	Ph नंबर 26 पर स्थित मकान/प्लॉट नंबर-112, ग्राम शेरपुरखुर्द, ग्राम पंचायत शेरपुरखुर्द, तहसील आलोटे जिला रतलाम, मध्य प्रदेश) पिन कोडः 457114, कुल क्षेत्रफलः 69.70 वर्ग मीटर। उत्तर-श्री नागूलाल जी का मकान, दक्षिण-आम रास्ता, पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-श्री हामिद खान का मकान।	प्रतीकात्मक कब्जा 24-जुलाई-25 को लिया गया

दिनांक : 31.07.2025
स्थान : रतलाम

अधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

प्रधान कार्यालय

क्रमांक : 2778/स्थापना/2025-26 **विज्ञप्ति** दिनांक: 29.07.2025

नगर पालिक निगम, इन्दौर में कार्यरत निम्न कर्मचारी की सेवा में रहते दिनांक 08/11/2023 को मृत्यु होने के उपरांत वारिस आश्रित सदस्य को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति देने संबंधी प्राप्त प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	मृतक कर्मचारी का नाम	मृतक कर्मचारी का पदनाम	मृतक कर्मचारी की मृत्यु पूर्व पदस्थापना	मृतक कर्मचारी के निवास का पता	आवेदक/आवेदिका का नाम जिसने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है	मृतक के साथ आवेदक का संबंध
1	2	3	4	5	6	7
1	स्व. अर्जुन पिता श्री खूबचन्द बादगी	माली	उद्यान विभाग, झोन क. 03 नगर पालिक निगम, इन्दौर	323 लक्ष्मीपुरी कॉलोनी, इन्दौर	श्री कपिल पिता अर्जुन बादगी	पुत्र

उपरोक्तानुसार श्री कपिल पिता अर्जुन बादगी वारिस/ सदस्य द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति चाही गई होने से आवेदक की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के दिनांक से 07 दिवस की अवधि में लिखित में आपत्ति (मूल दस्तावेजों के साथ) अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

(अपर आयुक्त महो. द्वारा आदेशित)

उपायुक्त (स्थापना)
नगर पालिक निगम, इन्दौर

SMFG Grihashakti
Nayi Asha. Naya Vishwas.

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालयः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
पंजीकृत कार्यालयः कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत, मैं, अधिनियम के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) का प्राधिकृत अधिकारी हूं तथा अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी करता हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत की गई हैः

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता संपत्ति धारकों का नाम, जैसा भी मामला हो	सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि 13 (2) और टोटल O/s
1	लैनः 601738011733920 1. सोहेब बेग 2. रईस बेग पताः हॉस्पिटल रोड भेरू बड़वी कॉलोनी, तराना उज्जैन म.प्र. 456665	सभी टुकड़े और पार्सल पंक्ति मकान संख्या 219, देवास लाइफस्टाइल कॉलोनी, माँ कमला नगर के पास, ग्राम नागूखेड़ी, फोन नंबर 33, तहसील और जिला देवास, मध्य प्रदेश। पूर्व की ओर सीमा - प्लॉट संख्या 211, पश्चिम कॉलोनी रोड, उत्तर पंक्ति मकान संख्या 220, दक्षिण पंक्ति मकान संख्या 218	14.07.2025 ₹20,08,846.01 (रू. बीस लाख आठ हजार आठ सौ छियालीस और एक पैसा मात्र) 12.07.2025 तक एनपीए तिथिः 06.07.2025

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि **एसएमएचएफसी** एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकताओं द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो **एसएमएचएफसी** सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। **एसएमएचएफसी** को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, **एसएमएचएफसी** को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य **एसएमएचएफसी** को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत **एसएमएचएफसी** को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को **एसएमएचएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

स्थान : देवास, मध्य प्रदेश
दिनांक : 14.07.2025

HDFC BANK
We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम), मुम्बई - 400013. CIN: L65920MH1994PLC080618, वेबसाईट : www.hdfcbank.com
शाखा कार्यालय : एच.डी.एफ.सी. हाऊस, 10-A/1, एम.जी. रोड, ट्रेजर आईलेंड मॉल के पास, इन्दौर - 452 001, फोन: 0731-4252447.

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समामेलन की एक योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** द्वारा जारी प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु निविदा विक्रय सूचना।

सर्व साधारण को तथा विशेष रुप से ऋणीयों/जमानतदारों कॉलम (ए) में निर्दिष्ट को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कॉलम (सी) में निर्दिष्टठजो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/ प्रभारित है, का प्रलक्षित / वास्तविक कब्जा कॉलम (डी) में वर्णित है। एचडीएफसी प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिनका **''जो है, जहां है, जैसा है'' ''और जो कुछ भी है''** के आधार पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार विक्रय किया जाएगा।

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत कॉलम (ए) में निर्दिष्ट ऋणी/बंधककर्ता(ओं)/ कानूनी वारिस, कानूनी प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), प्रस्तावित ऋणी(यों)/बंधककर्ता(ओं) (दिवंगत) होने की दशा में उनके निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), एवं नियुक्त(क्तो) सूचना दी जाती है।

विक्रय के निबंधन और शर्तो के ब्योरे के लिए कृपया हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड(एचडीएफसी लिमिटेड) प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात **www.hdfcbank.com** (वेबसाईट पर ब्योरा) देखें।

क्रं.	(ए) ऋणी/बंधककर्ता(ओं)/ कानूनी वारिस, कानूनी प्रतिनिधियों (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), प्रस्तावित ऋणी(यों)/बंधककर्ता(ओं) (दिवंगत) होने की दशा में उनके निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), एवं नियुक्त(क्तो) के नाम	(बी) वसूली योग्य बकाया राशि (सुरक्षित ऋण) (रु.)*	(सी) अचल संपत्ति/ सुरक्षित आस्ति का विवरण	(डी) आधिपत्य का प्रकार	(ई) आरक्षित मूल्य (रु.)	(एफ) बयाना राशी (रू)	(जी) निरिक्षण की तिथी एवं समय	(एच) बोली जमा करने की अंतिम तिथी	(आई) बोली की वृद्धि दर	(जे) निलामी की तिथी एवं समय
1	श्री अनिल कुमार जायसवाल एवं श्री अक्षय जायसवाल पता : मकान नं. एन-37, वार्ड नं. 07, रोड़ बाजार, तहसील मक्सी, शाजापुर, म.प्र.	₹ 23,87,362/- दिनांक 31-07-2018 को	फ्लैट नं. 102, फ्लोर-1, चंद्रकांता अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 14/1, अलापुरा, गली नं. 1, जूनी इंदौर, इंदौर, म.प्र. क्षेत्रफल 83.36 वर्गमीटर चर्तुसीमाएं : पूर्व - प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम - प्रकोष्ठ नं. 101, उत्तर- कॉमन पैसेज एवं प्रकोष्ठ नं. 103 दक्षिण - रोड	21-03-2025 (भौतिक आधिपत्य)	₹ 24,50,000/-	₹ 2,45,000/-	13.08.2025 & 19.08.2025 प्रात: 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक	02.09.2025 सायं 4.00 बजे तक	₹ 10,000/-	03.09.2025 प्रातः10.00 बजे से प्रातः10.30 बजे तक
2	श्री महेन्द्र यादव श्रीमती रीता यादव पता- 26/1 नेहरु नगर, पाटनीपुरा, इंदौर (म.प्र.)	₹ 7,74,604/- दिनांक 31-10-2018 को	फ्लेट नंबर G-1, ब्लॉक-P, सुपर सिटी ज्ञानशीला होम्स, सिल्क पैलेस, खसरा नंबर 49, 50, 57, 52 एवं 53/2, ब्लॉक L,M,N.O.P.Q एवं S, तहसील सांवेर, ग्राम ढाबली, इंदौर 452001, चर्तुसीमाएँ: पूर्व - कॉमन पैसेज, पश्चिम-अन्य भूमि, उत्तर - फ्लेट नंबर G-2, दक्षिण - अन्य भूमि क्षेत्रफल - 41.68 वर्ग मीटर	06-05-2025 (भौतिक आधिपत्य)	₹ 6,80,000/-	₹ 68,000/-	13.08.2025 & 19.08.2025 प्रात: 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक	02.09.2025 सायं 4.00 बजे तक	₹ 10,000/-	03.09.2025 प्रातः10.30 बजे से प्रातः11.00 बजे तक
3	श्री संदीप कुमार सतसंगी एवं स्वाति सतसंगी पता- 79/02, जवाहर चौक, राजपुर, बड़वानी 451447	₹ 7,86,045/- दिनांक 30-09-2023 को	फ्लैट नं. 404, चौथी मंजिल, शुभम रेसीडेन्सी, ब्लॉक-ए1, सर्वे नं. 105/1/1, ग्राम बिजलपुर, इन्दौर क्षेत्रफल 68.77 वर्गमीटर (740 वर्गफीट) चर्तुसीमाएँ:- पूर्व - खुली जगह, पश्चिम- फ्लैट नं. ए/1/405 के बाद लॉबी, उत्तर - लिफ्ट एवं सीढ़ी, दक्षिण - खुली जगह	03-06-2025 (भौतिक आधिपत्य)	₹ 33,50,000/-	₹ 3,35,000/-	13.08.2025 & 19.08.2025 प्रात: 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक	02.09.2025 सायं 4.00 बजे तक	₹ 10,000/-	03.09.2025 प्रातः11.00 बजे से प्रातः11.30 बजे तक
4	श्री स्वाधीन तिवारी श्रीमती प्रज्ञा दुबे पता- MIG-102 कम्फर्ट प्लाजा नेहरू नगर भोपाल (म.प्र.) 462003	₹ 12,43,217/- दिनांक 31-01-2025 को	फ्लेट नंबर 313, तृतीय मंजिल, आनंद एकता हाइट्स, सिंगापुर टाउनशिप कॉलोनी, ग्राम तलावली चांदा, इंदौर (म.प्र.) चर्तुसीमाएँ:- पूर्व - प्रकोष्ठ नंबर 312, पश्चिम - प्रकोष्ठ नंबर 314, उत्तर - खुला मार्ग, दक्षिण - खुला प्लॉट क्षेत्रफल - 49.53 वर्ग मीटर	29-04-2025 (भौतिक आधिपत्य)	₹ 12,00,000/-	₹ 1,20,000/-	13.08.2025 & 19.08.2025 प्रात: 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक	02.09.2025 सायं 4.00 बजे तक	₹ 10,000/-	03.09.2025 प्रातः11.30 बजे से दोप. 12.00 बजे तक
5	श्री मुकेश कुमार मालवीय पिता नंदराम मालवीय एवं रीना	₹ 24,61,887/- दिनांक 30-11-2021 को	प्लाट नं. 24 ग्लोबस सिटी, सर्वे नं. 69/2, 72, 73/1, 73/273/3, 73/4,73/5,73/6, ग्राम राजगढ़ रतलाम-457001 म.प्र. क्षेत्रफल 65.5 वर्ग मीटर। चर्तुसीमाएं : पूर्व-रोड, पश्चिम- प्लॉट नं. 37 एवं उस पर राकेश कुमार का मकान, उत्तर- प्लॉट नं. 23 एवं उस पर कमलेश का मकान, दक्षिण- प्लॉट नं. 25 एवं उस पर युधिष्ठिर का मकान	08-04-2025 (भौतिक आधिपत्य)	₹ 26,50,000/-	₹ 2,65,000/-	13.08.2025 & 19.08.2025 प्रात: 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक	02.09.2025 सायं 4.00 बजे तक	₹ 10,000/-	03.09.2025 दोप. 12.00 बजे से दोप. 12.30 बजे तक
6	श्री मनोज खण्डेलवाल श्री मनीष खण्डेलवाल श्रीमती निशा खण्डेलवाल पता : 3/4, रानीपुरा, इंदौर-452001	₹ 43,43,060/- दिनांक 31-07-2021 को	यूनिट नं.201, बालाजी टावर्स, प्लॉट नंबर 214, 215 एवं 216 (पुराना 164, 165, 166), एम.जी. रोड, खजूरी बाजार, इंदौर (म.प्र.) 452 001, क्षेत्रफल - 518 वर्गफीट (48.14 वर्गमीटर), चर्तुसीमाएँ:- पूर्व- सरकारी गली, पश्चिम- यूनिट नंबर 202, उत्तर- सरकारी रोड, दक्षिण-कॉरिडोर	16-04-2025 (भौतिक आधिपत्य)	₹ 37,00,000/-	₹ 3,70,000/-	13.08.2025 & 19.08.2025 प्रात: 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक	02.09.2025 सायं 4.00 बजे तक	₹ 10,000/-	03.09.2025 दोप. 12.30 बजे से दोप. 1.00 बजे तक
7	श्री कैलाशचन्द्र आर्य श्रीमती निर्मला निवासी : वार्ड 12, पोस्ट करपुर, तह. खण्डवा ग्राम हीरापुर, करपुर, पूर्व निमाड़ खण्डवा - 450881	₹ 11,97,197/- दिनांक 31-05-2021 को	युनिट-324 (उत्तर भाग) प्लॉट नं.3 एवं कॉलोनी नक्शे के अनुसार स्वीकृत प्लॉट-324 (उत्तर भाग), प्रणाम सिटी, सर्वे नं. 237/1, 237/2, शीट नं.4, आनंद वार्ड नं.50, ग्राम मालीपुरा, खंडवा, म.प्र., क्षेत्रफल : 37.175 वर्गमीटर (400 वर्गफीट), चर्तुःसीमाः पूर्वः कॉलोनी की बाउंड्रीवाल, पश्चिमः कॉलोनी रोड़, उत्तरः कॉलोनी का प्लॉट नं.325, दक्षिणः प्लॉट का शेष भाग	11-12-2024 (भौतिक आधिपत्य)	₹ 10,10,000/-	₹ 1,01,000/-	13.08.2025 & 19.08.2025 प्रात: 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक	02.09.2025 सायं 4.00 बजे तक	₹ 10,000/-	03.09.2025 दोप. 1.00 बजे से दोप. 1.30 बजे तक
8	श्री अभिषेक कुमावत एवं श्रीमति प्रीति कुमावत पता- म.नं. 335, उषा नगर एक्सटेंशन, इंदौर 452001	₹ 14,27,080/- दिनांक 30-11-2021 को	फ्लैट नं. 601, छठी मंजिल, कार्तिक एन्क्लेव, प्लॉट 13, शिव वाटिका एमआर-11 देवास नाका, इंदौर-452001 म.प्र. क्षेत्रफल - 43.21 वर्गमीटर, चर्तुसीमाएँ:- पूर्व- खुला क्षेत्र, पश्चिम- फ्लैट नं. 602, उत्तर - कॉरिडोर, दक्षिण - प्लॉट नं. 14	05-06-2025 (भौतिक आधिपत्य)	₹ 18,00,000/-	₹ 1,80,000/-	13.08.2025 & 19.08.2025 प्रात: 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक	02.09.2025 सायं 4.00 बजे तक	₹ 10,000/-	03.09.2025 दोप. 1.30 बजे से दोप. 2.00 बजे तक
9	श्री प्रेमसिंह जाधव श्रीमती नेहा जाधव पता- ए-24, सुपर सिटी, शांती नगर, महूगांव, महू, म.प्र.	₹ 8,96,353/- दिनांक 30-06-2019 को	युनिट-119-ए, साउथ पार्ट, अदिती विहार, सर्वे नं. 459/1 एवं 460, ग्राम-भाटखेड़ी, सर्वे नं. 459/1 एवं 460, महू नीमच रोड़, महूगांव (म.प्र.) क्षेत्रफल 37.17 वर्गमीटर (400 वर्गफीट) चर्तुसीमाएँ:- पूर्व - प्लाट नं. 126, पश्चिम- कॉलोनी रोड़, उत्तर - प्लाट नं. 119-बी, दक्षिण - प्लाट नं. 118-बी	19-05-2025 (भौतिक आधिपत्य)	₹ 9,50,000/-	₹ 95,000/-	13.08.2025 & 19.08.2025 प्रात: 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक	02.09.2025 सायं 4.00 बजे तक	₹ 10,000/-	03.09.2025 दोप. 2.00 बजे से दोप. 2.30 बजे तक
10	श्री महेश कुमार वर्मा एवं श्रीमती योगिता वर्मा पता : मकान नं. 14K एबी रोड़, छोटा काकरीया, मानपुर म.प्र. 453661	₹ 19,45,467/- दिनांक 30-06-2019 को	प्लाट नं. 190 A, रॉयल रेसीडेंसी, सर्वे नं. 468/2, 533/1, 534/1, 534/2, 534/3, ग्राम भाटखेड़ी, महू, पीथमपुर रोड़, इंदौर म.प्र. 453441 प्लाट का क्षेत्रफल 92.93 वर्गमीटर, चर्तुसीमाएँ:- पूर्व : प्लाट नं. 191-A, पश्चिम: प्लाट नं. 189-A, उत्तर: प्लाट नं. 187-A, दक्षिण: रोड़	30-08-2024 (भौतिक आधिपत्य)	₹ 23,00,000/-	₹ 2,30,000/-	13.08.2025 & 19.08.2025 प्रात: 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक	02.09.2025 सायं 4.00 बजे तक	₹ 10,000/-	03.09.2025 दोप. 2.30 बजे से दोप. 3.00 बजे तक
11	श्री मांगीलाल श्री धर्मेश प्रजापत एवं श्रीमती सायरी देवी पता : 74, आड़ा बाजार, पंढरीनाथ रोड़, इंदौर- 452007	₹ 25,60,606/- दिनांक 31-10-2021 को	प्लॉट नं. 176, उत्तरी भाग, पदमालय कॉलोनी, शिक्षक नगर, स्कीम नं. 3, खसरा नं. 347/1, 348/1, ग्राम छोटा बांगडदा, विद्या पैलेस कॉलोनी के पीछे, इन्दौर-452005, क्षेत्रफल (65.42 वर्गमीटर), चर्तुःसीमाः पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 175, उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 176 का शेष भाग	17-07-2025 (भौतिक आधिपत्य)	₹ 34,00,000/-	₹ 3,40,000/-	13.08.2025 & 19.08.2025 प्रात: 10.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक	02.09.2025 सायं 4.00 बजे तक	₹ 10,000/-	03.09.2025 दोप. 3.00 बजे से दोप. 3.30 बजे तक

*भुगतान / वसूली की दिनांक तक भारित लागू @ 18% प्रति वर्ष ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित।

एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार उपरोक्त अचल संपत्तियों / सुरक्षित आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋण भार नहीं है।

ऊपर सूचीबद्ध संपत्तियों के संबंध में किसी भी देय राशि का भुगतान/समाशोधन/निपटान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता द्वारा किया जाना है एवं एचडीएफसी कोई भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

संभावित बोलीदाता(ओं)/क्रेता(ओं) से अनुरोध है कि कृपया बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें देखें, कृपया एचडीएफसी सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट अर्थात **www.hdfcbank.com** अथवा मेसर्स श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड (SAMIL) की वेबसाइट अर्थात **https://eauctions.samil.in/home** में दिए गए लिंक को देखें

मेसर्स श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड (SAMIL) ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी आयोजित करने में अधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा। संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, या बोली दस्तावेज प्राप्त करने के लिए और किसी भी अन्य प्रश्नों के लिए, कृपया **मेसर्स श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड (SAMIL)** के संपर्क व्यक्ति : मिनाक्षी, मोबाईल नं. **9999535597**, ई-मेल आईडी: **meenakshi.i@samil.in** एवं श्री गौरव नम्बूदीरी, मोबाईल नं. **9833922941**, ई-मेल आईडी: **gaurav.n@samil.in** या एचडीएफसी बैंक के अधिकारी **निशांत राठौड़** से **मोबाइल नं. 8878666520** फोन नं. 0731-4252447 पर सम्पर्क कर सकते है।

यह फिर से दोहराया जाता है कि -सुरक्षित संपत्ति का विक्रय ''जो है, जहां है, जैसा है'' ''और जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जाएगा।

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 31.07.2025

ह/-प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड